



उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०),

लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com

Website- www.uppst.org

पत्र सं०- /80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020/

दिनांक:- 15/9/2022

प्रबन्ध निदेशक,

मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को,

लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

अतिमहत्वपूर्ण
(समयावधि निर्धारित)

विषय:-ई०आर०पी० Payroll Master Data में अंकित त्रुटिपूर्ण विवरणों के निराकरण हेतु।

कृपया उपरोक्त विषयक ट्रस्ट कार्यालय के पत्र सं०-1097/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक-19.07.2022, पत्र सं०-1159/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक-30.07.2022, पत्र सं०- 1194/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक-16.08.2022 एवं पत्र सं०-1289/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक-02.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिस्कॉम/निगम में कार्यरत समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के ई०आर०पी० Payroll Master Data में अंकित त्रुटिपूर्ण विवरणों (यथा PF Trust Id, CPF/GPF No. Employee Name, Father Name & Husband Name) को ESS Portal पर उपलब्ध "Employee Master Update" Form के माध्यम से सुधारने/अपडेट करने एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माध्यम से SAP GUI पर Verify करने हेतु कई बार समयावधि को बढ़ाया गया था। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि दिनांक-10.09.2022 तक उक्त कार्य को पूर्ण करने का अंतिम दायित्व समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का होगा एवं विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा। किन्तु उक्त कार्य में अभी भी अपेक्षित प्रगति न होना अत्यन्त चिंता का विषय है एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों की अकर्मण्यता को दर्शाता है।

उक्त के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पुनः अपने स्तर से निर्देशित करते हुए उनके अधीनस्थ कर्मिकों के ESS Portal पर उपलब्ध "Employee Master Update" Form के माध्यम से अपडेट कराते हुए SAP GUI पर T-Code "ZHR_MAST_CORR" के माध्यम से दिनांक-25.09.2022 तक अवश्य Verify कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही ट्रस्ट कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जा सके। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि जिन कर्मिकों का Master Data ट्रस्ट कार्यालय स्तर से किसी भी कारणवश "Reject" किया गया है, उन कर्मिकों का शुद्ध Master Data अंकित कर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा पुनः Verify किया जाना अनिवार्य है।

अग्रेतर निर्देशित किया जाता है कि समस्त कर्मिकों का ERP Payroll Master Data निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपडेट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों का होगा एवं विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनके सितम्बर माह का वेतन वितरित नहीं किया जायेगा।

संलग्नक:यथोपरि।

(पंकज कुमार)

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०
एवं ट्रस्टी

पत्र सं०- 1360 /80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त/का० एवं प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
2. समस्त कर्मिक ट्रस्टीज़, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि०/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. उपमहाप्रबन्धक (वित्त/लेखा/प्रशासन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/आगरा।

5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
6. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उपसचिव, उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
10. लेखाधिकारी (के०भु०प्र०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माध्यम से समस्त कार्मिकों का Employee Master Data निर्धारित समय-सीमा में Verify कराना सुनिश्चित करें।
11. लेखाधिकारी (सा०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, महानगर, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०
एवं ट्रस्टी